

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
समुद्री उत्पाद निर्यात

1168. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समुद्री निर्यात में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य का भारत के समुद्री निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है और देश में समुद्री मछली उत्पादक राज्यों में इसका शीर्ष स्थान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र से समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने में समुद्री उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गुणवत्ता मानकों, बुनियादी ढांचे और व्यापार बाधाओं जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) अगले पांच वर्षों के लिए समुद्री भोजन, पोत परिवहन और समुद्री प्रौद्योगिकी सहित समुद्री उद्योगों के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(छ) 2030 तक भारत के समग्र निर्यात राजस्व में समुद्री निर्यात का अनुमानित योगदान कितना है;

(ज) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्यातकों को सहायता देने के लिए सरकार की पहलों का ब्यौरा क्या है;

(झ) भारत के समुद्री उत्पादों के लिए वर्तमान शीर्ष निर्यात गंतव्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) क्या सरकार समुद्री निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): पिछले पांच वर्षों में समुद्री निर्यात में वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत है: -

वर्ष	निर्यात मूल्य (रुपये करोड़ में)
2019-20	47618.10
2020-21	44175.75
2021-22	57910.36
2022-23	64902.16
2023-24	61043.68

* स्रोत: डीजीआईसीएस

(ख): जी हां। वित्त वर्ष 2023-24 में देश से कुल समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य (आईएनआर में) और मात्रा (टन में) के संदर्भ में महाराष्ट्र का योगदान लगभग क्रमशः 8.00% और 9.35% रहा।

(ग): सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से महाराष्ट्र सहित देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एम्पीडा की योजनाओं का उद्देश्य कैप्चर और कल्चर मत्स्य पालन, गुणवत्ता का संरक्षण, मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों का संरक्षण/भंडारण, ट्रेसिबिलिटी और संसाधनों की स्थिरता और वैश्विक बाजार में भारतीय समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने से उत्पादन बढ़ाने में सभी हितधारकों की मूल्य श्रृंखला को सहायता प्रदान करना है। एम्पीडा की योजनाओं के तहत जो मांग प्रेरित हैं और जिनके लिए लाभार्थी पक्ष से साझा योगदान अपेक्षित है, पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 17 लाभार्थियों को 1320.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ),(ड.) और (ज): आयातक देश के मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्यात सुनिश्चित करना एक निरंतर प्रयास है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से वाणिज्य विभाग अन्य संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय में कार्य कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्यात किया जाए। व्यापार बाधाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे को सरकार द्वारा द्विपक्षीय रूप से उठाया जाता है। एम्पीडा देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करता है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) का आयोजन और समुद्री खाद्य आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, एम्पीडा ने अंडमान द्वीप में विशिष्ट रोगजनक-मुक्त (एसपीएफ) टाइगर झींगा प्रजनन परियोजना के लिए एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की है, जिससे भारत के आत्मनिर्भर बनने और झींगा उत्पादन के साथ-साथ इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाल के बजट वर्ष

2025-26 में, अपने सदृश्य उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सूरीमी) पर बीसीडी और मछली और झींगा फ़ीड के निर्माण के लिए फिश हाइड्रोलाइसेट को क्रमशः 30% से घटाकर 5% और 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट दरों (आरओडीईटीपी) को भी 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया गया है और प्रतिकिलोग्राम अधिकतम मूल्य सीमा को बढ़ाकर 69.00 रूपया कर दिया गया है।

एम्पीडा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे मछुआरों के लिए बेहतर हैंडलिंग परिपाटियों के संबंध में बंदरगाह और पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र-आधारित प्रशिक्षण, फसल के बाद के नुकसान में कमी करना, आयात करने वाले देशों की गुणवत्ता और मानकों से संबंधित आवश्यकता, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्यवर्धन संबंधी प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविदों के लिए जोखिम विश्लेषण और गहन नियंत्रण बिंदुओं (एचएसीसी पी) पर प्रशिक्षण आदि ।

(च) और (छ): निर्यात कार्य निष्पादन की आंतरिक निगरानी के लिए निर्यात लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत और शेष विश्व में पिछले रुझानों और नीतिगत परिवर्तन के आधार पर वर्ष 2024-25 में समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 7.86 बिलियन अमरीकी डॉलर निर्धारित किया गया था।

(झ): संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, वियतनाम और थाईलैंड सहित शीर्ष पांच निर्यात गंतव्यों ने वर्ष 2023-24 में देश के कुल समुद्री उत्पाद निर्यात में लगभग 67% का योगदान दिया।

(ञ): समुद्री निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए, एम्पीडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) को वर्चुअल और फिजिकल दोनों मोड में आयोजित करता और रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) आदि का आयोजन करता है। वर्तमान में, भारत 132 देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात करते हैं और भारत से समुद्री उत्पादों के लिए संभावित बाजार के रूप में एम्पीडा ने कुछ नए उभरते बाजारों जैसे नॉर्वे, सर्बिया, लक्ज़मबर्ग, बोस्निया आदि की पहचान की है।